राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1897/2011/चित्तौड़.

मै0 आदित्य सीमेन्ट वर्क्स (ए यूनिट ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट लि.)
(पूर्व नाम–ए यूनिट ऑफ ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड एण्ड समृद्धि सीमेन्ट लिमिटेड) शम्भुपुरा, जिला चित्तौड़गढ़. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. सहायक आयुक्त, विशेष वृत, भीलवाड़ा.
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 17/12/2015

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 4/सीएसटी/10–11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 24.06.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विशेष वृत, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2001–02 के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 के तहत नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 01.04.2008 को पारित करते हुए कुल मांग रूपये 24,78,2454/– की मांग सृजित की गई। उक्त मांग राशि विलम्ब से जमा करवाये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 सपठित वेट अधिनियम की धारा 55 के तहत आदेश दिनांक 12.04.2010 को पारित करते हुए, देय राशि विलम्ब से जमा करवाये जाने के कारण धारा 55 के तहत ब्याज राशि रूपये 2,83,538/– सृजित की गयी। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2011 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कुल ब्याज राशि में रूपये 8,148/– की कमी की गयी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश की तामीली अपीलार्थी पर विलम्ब से होने के कारण अपीलार्थी द्वारा राशि विलम्ब से जमा करवाई गई, जिसमें अपीलार्थी की कोई त्रुटि नहीं है। इसके बावजूद अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक राशि समाप्त करते हुए, शेष राशि की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने तथा सम्पूर्ण ब्याज राशि का आरोपण समाप्त किये जाने का अनुरोध किया।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण आदेश दिनांक 01.04.2008 अपीलार्थी व्यवहारी पर दिनांक 26.04.2008 को तामील हुआ है, ऐसी स्थिति में वेट नियम 27 के अनुसार दिनांक 25.05.2008 तक सृजित राशि राजकोष में जमा करवाया जाना अनिवार्य थी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा त्रुटिवश दिनांक 16.05.2008 से ब्याज राशि की गणना की गई, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश से संशोधित करते हुए दिनांक 16.05.2008 से 25.05.2008 तक के कुल 10 दिवस के ब्याज को अपास्त करते हुए, शेष अवधि के ब्याज की देयता सम्बन्धी आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि आलौच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश अपीलार्थी पर दिनांक 26.04.2008 को तामील हुआ है। वेट नियम 27 के अनुसार दिनांक 25.05.2008 तक सृजित राशि राजकोष में जमा करवाया जाना आवश्यक थी, जिस पर ब्याज की देयता नहीं थी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 12.04.2010 के द्वारा दिनांक 16.04.2008 से ब्याज की गणना की गयी है, जो कि नियम 27 के अनुसार अविधिक है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16.05.2008 से 25.05.2008 तक के 10 दिवस के ब्याज को अपास्त करते हुए शेष ब्याज की पुष्टि किये जाने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गयी है।

6. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार करते हुए, अपीलीय आदेश दिनांक 24.06.2011 की पुष्टि की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

17.12.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य